

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

आम सूचना

मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना एवं मुख्यमंत्री अनु० जाति अनु० जनजाति मेधावृत्ति योजना हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वर्ष, 2019 की माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सभी कोटि के छात्र/छात्राओं एवं मैट्रिक द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कोटि के छात्र/छात्राओं तथा मुख्यमंत्री अनु० जाति अनु० जनजाति मेधावृत्ति योजना के तहत इन्टरमीडिएट परीक्षा, 2019 में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कोटि के छात्राओं से ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति हेतु सूचना।

उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने एवं छात्र/छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वर्ष 2019 की माध्यमिक एवं इन्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण निम्नलिखित कोटि के छात्र/छात्राओं को उनके समुख अंकित योजनाओं का लाभ दिया जाना है :—

क्र०	योजना का नाम	लाभुक छात्र/छात्रा की कोटि	अर्हता	प्रोत्साहन राशि
1	मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना	सामान्य एवं पिछड़ा (बी०सी०-२) वर्ग की बालिका	प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्णता	₹10,000/- (दस हजार)
2	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	सामान्य वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) बालक	प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) तक हो।	₹10,000/- (दस हजार)
3	मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना	पिछड़ा वर्ग कोटि के बालक	प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) तक हो।	₹10,000/- (दस हजार)
4	मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि के बालिका/बालक	प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्णता	₹10,000/- (दस हजार)
5	मुख्यमंत्री जाति अनु० अनु० जनजाति मेधावृत्ति योजना	अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कोटि के बालिका/बालक	प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्णता	₹10,000/- (दस हजार)

6	मुख्यमंत्री जाति जनजाति योजना	अनु० अनु० मेधावृत्ति	अनु० जाति एवं अनु० जन जाति कोटि के बालिका / बालक	द्वितीय श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्णता	₹8,000/- (आठ हजार)
7	मुख्यमंत्री जाति जनजाति योजना	अनु० अनु० मेधावृत्ति	अनु० जाति एवं अनु० जन जाति कोटि के बालिका	इन्टरमीडिएट प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता	₹15,000/- (पन्द्रह हजार)
8	मुख्यमंत्री जाति जनजाति योजना	अनु० अनु० मेधावृत्ति	अनु० जाति एवं अनु० जन जाति कोटि के बालिका	इन्टरमीडिएट द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्णता	₹10,000/- (दस हजार)

2. उक्त योजनाओं के अंतर्गत राशि सीधे पात्र लाभुकों के बैंक खाते में अंतरित की जायेगी।
3. पात्र लाभुकों को ऑनलाईन प्रोत्साहन की राशि उनके बैंक खाते में NIC द्वारा बनाये गये सॉफ्टवेयर के माध्यम से अंतरित किया जाना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2019 में माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सभी कोटि की छात्र/छात्राओं एवं मैट्रिक द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कोटि के छात्र/छात्राओं तथा इन्टरमीडिएट परीक्षा 2019 में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कोटि के छात्राओं का जिलावार एवं विद्यालयवार विवरण सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिया गया है।
4. ज्ञातव्य हो कि बैंक खाता पात्र छात्र/छात्राओं के अपने नाम से खुला हो एवं उनका खाता राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडिया पोर्ट ऐमेन्ट्स बैंक में संधारित हो एवं बिहार में अवस्थित किसी शाखा में हो।
5. वांछित सूचनाएँ NIC के ऑनलाईन पोर्टल www.edudbt.bih.nic.in/MUY/eduBihar.aspx को खोलकर इंटरनेट के माध्यम से अंकित किया जा सकता है। पोर्टल को Login करने के लिए माध्यमिक परीक्षा, 2019 एवं इन्टरमीडिएट परीक्षा, 2019 का पंजीयन संख्या के साथ जन्मतिथि अथवा कुल प्राप्तांक, की आवश्यकता पड़ेगी।
6. पात्र छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे NIC के द्वारा विकसित ऑनलाईन पोर्टल को खोलकर अपने से संबंधित सभी सूचनाओं की जाँच कर लें कि अंकित सूचनाएँ सही हैं अथवा नहीं ? उक्त पोर्टल में Login करने के पश्चात् रिक्त कॉलम में वांछित सूचनाओं यथा अपना बैंक खाता नं०, बैंक शाखा का नाम, IFSC Code, आधार नं०, मोबाईल नं० तथा सामान्य जातियों के छात्र (अल्पसंख्यक सहित) एवं पिछड़ी जाति के छात्र जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) तक हो संबंधित सूचना तथा संबंधित आय प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
7. विशेष जानकारी हेतु हेल्पडेस्क नं०-06122215323 पर सम्पर्क किया जा सकता है। तकनीकी सहायता के लिए मोबाईल नं०-8292825106,7004360147,9570646070 एवं ईमेल- mkuy.nic@gmail.com पर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।


 ०९/०९
 निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
 शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।